"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 29, शक 1933

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-2/2008/25/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति या चयन के लिए तात्पर्यित (गठित) चयन समिति;

(घ) "विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधीन विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों/शिक्षा कर्मियों के लिए संचालित परीक्षा;

(ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित) सेवा;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका.**— **(1)** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा, सीमित विभागीय परीक्षा से चयन के द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के अनुमोदन के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी (यथा संशोधित) निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:—

(1) **आयु–(क)** चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते, इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक ईकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया होः–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और

जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक एवं असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा

पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान-कमिशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप— **(1)** उपरोक्त उप-खण्ड (घ) (एक) एवं (घ) (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होंगी।

(ट) उपरोक्त किसी एक या अधिक संवर्गों के आधार पर आयु में छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(2) **शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(3) **फीस**.– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता**.– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा**.–
(एक) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नही किया गया है, साक्षात्कार के लिये अनुज्ञात नही किया जायेगा।

(दो) चयन प्रक्रिया के किसी प्रक्रम में अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है या उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में कोई विसंगति पाई गई है, तो वह (अभ्यर्थी) निरर्हित हो जायेग एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**.– (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन समय–समय पर आयोग व परामर्श से अवधारित करे।
(2) प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम (सिलेबॅस), परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार आयो द्वारा संचालित की जायेगी, जैसा कि शासन समय–समय पर आयोग के परामर्श से जारी करे
(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति में किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध त इस नियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 उपबंधों के अनुसार, 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जायेगा। ऐसा आरक्ष समस्तर और प्रभागवार (हॉरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाईज) होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, विकलांग/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय–समय जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

..8..

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के सदस्य है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों को जिन्हें उसकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में, उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– **(1)** आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग से आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किए गये अभ्यर्थियों जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति के लिए शासन को भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिए एक चयन सूची तैयार की जाएगी, ऐसे प्रवर्गों के लिए एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम एवं रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम शामिल किए जायेंगे। सूची की वैधता, इस प्रकार चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25% तक की संख्या के आंकलन के लिए, पूर्णांक में लाने हेतु, पाइन्ट (अंक) को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जाएगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित न होने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से उसे नियुक्ति के अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, आयोग द्वारा अनुशंसित किया जा सकेगा।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजने के लिए शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा और इसे शासन को भेजेगा।

(9) विधिमान्य कारण दर्शाते हुए शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, आयोग, चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की अधिकतम अवधि की वृद्धि कर सकता है।

(10) प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में स्वतः ही (automaticlly) 6 माह की वृद्धि हो जाना समझा जाएगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता अवधि में आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नही की जाएगी, जब तक कि शासन, विधिमान्य कारण दर्शाते हुए, वृद्धि करने की अनुशंसा न करे।

13. परिवीक्षा.— **(1)** सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। यदि कार्य संतोषप्रद नही पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(2) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नही है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकती है।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे:

परन्तु, इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालो में होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) के अनुसार तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए निर्देशों और राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.– (1) उप–नियम **(2)** के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिससे पदोन्नति की जानी है, या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षो की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण–पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस वर्ष से की जायेगी, जिसमें शासकीय सेवक अपने–अपने फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और पद के वेतनमान में आने की तारीख से नही।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गो के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। लोक सेवकों के मात्र उतनी ही संख्या के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान हो तथा एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति के कारण रिक्त होने वाली पदों की संख्या हो।

(दो) ऐसे मामलों में जहाँ पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचारण योग्य आवेदन की संख्या, रिक्त पदों की संख्या के दो से चार गुना अधिक होगी। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोक सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो विचारण योग्य आवेदन की संख्या में कुल रिक्त पदों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकती है तथा इस प्रकार आरक्षित पदों की पूर्ति, विचारण क्षेत्र से की जा सकती है। समिति, विद्यमान सभी रिक्त पदों तथा प्रत्येक प्रवर्ग में विचारण क्षेत्र में सेवानिवृत्ति के कारण एक वर्ष के दौरान रिक्त होने वाले पदों को विचारण में लेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिये अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**– (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम समाविष्ट होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची की प्रतिवर्ष छानबीन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. आयोग से परामर्श.– **(1)** नियम 16 के प्रावधानों के अधीन शासन द्वारा तैयार की गई सूची, निम्नलिखित के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख जिनका सूची में की गई सिफारिशों के अनुसार अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा में आने वाले किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के द्वारा अभिलिखित किये गये कारण।

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन के विचार।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खंड (ग) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है।

18. चयन सूची.– **(1)** आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा, तथा शासन द्वारा उस पर यदि कोई मत प्रकट किया जाये तो उस पर ध्यान देते हुए, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 16 के उप–नियम (3) के अनुसार उसकी छानबीन अथवा पुनरीक्षण न किया जाए, तथापि सूची की वैधता, उस तारीख, जिस पर सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा, से 18 माह के लिये होगी इसके पश्चात् इसमें आगे वृद्धि किये जाने की अनुमति नहीं होगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) सेवा के नियम 15 (4) के अनुसार, चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम सूची में आये हों।

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **परिवीक्षा.**— सेवा में पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे उचित एवं समीचीन प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

अनुसूची—एक

(नियम—5 देखिये)

छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित), सेवा

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्राचार्य, प्रथम श्रेणी	11	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड पे 6600	छत्तीसगढ़ शासन, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
2	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	85	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड पे 5400	छत्तीसगढ़ शासन, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
3	प्राचार्य / उप प्राचार्य	1037	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड पे 5400	छत्तीसगढ़ शासन, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
4	अधीक्षक, श्रेणी—अ	01	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड पे 5400	छत्तीसगढ़ शासन, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
5	व्याख्याता	12726	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड पे 4300	छत्तीसगढ़ शासन, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त / संचालक को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के पश्चात्
6	अधीक्षक, श्रेणी—ब	45	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड पे 4300	छत्तीसगढ़ शासन, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त / संचालक को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के पश्चात्
7	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला	6202	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड पे 4300	छत्तीसगढ़ शासन, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त / संचालक को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के पश्चात्

अनुसूची–दो

(नियम–6 देखिये)

छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित), सेवा

स. क्र.	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पद का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा नियम –6 (1) (क) देखिये	पदोन्नति द्वारा नियम –6 (1) (ख) देखिये	अन्य सेवाओं से स्थानान्तरण द्वारा नियम –6 (1) (ग) देखिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्राचार्य, प्रथम श्रेणी	11	–	100%	–	प्राचार्य / उप्र. प्राचार्य / विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे
2	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	85	–	–	100%	प्राचार्य, वेतनमान 15600–39100 + ग्रेड पे 5400 में 05 वर्षो की अनुभव पश्चात् , स्थानांतरण द्वारा भरे जायेंगे
3	प्राचार्य / उप प्राचार्य	1037	25%	75%	–	प्राचार्य / उप प्राचार्य के 25% पद शिक्षा कर्मी वर्ग–1, जो 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लिया हो विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जायेंगे तथा 75% पदों को नियमित व्याख्याता / प्रधान पाठक (स्नातकोत्तर) से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। नियमित व्याख्याता / प्रधान पाठक (स्नातकोत्तर) की सूची पूर्ण होने के पश्चात् सभी पदों को शिक्षा कर्मी वर्ग–1 से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।
4	अधीक्षक श्रेणी–अ	01	–	100%		यदि उपर्युक्त अभ्यर्थी (अधीक्षक श्रेणी–ब) उपलब्ध नहीं है तो प्राचार्य संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा भरे जायेंगे, किन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध है तो पद, नियमित पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

5	व्याख्याता	12726	50% यदि संबंधित विषय में उपयुक्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे शिक्षकों से पदों को भरे जायेंगे, जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर हो और जो 3 वर्ष का अनुभव रखता हो। शिक्षाकर्मी वर्ग–1 कीकुल रिक्त पदों का 50%, पंचायतं एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा, भरे जायेंगे।	50%	–	व्याख्याता पदों को, उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) जो बी.एड./डी.एड./बी.टी.सी. प्रशिक्षित एवं स्नातकोत्तर है, से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
6	अधीक्षक श्रेणी–ब	45	–	100%	–	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी (अधीक्षक श्रेणी–स) उपलब्ध नहीं है तो व्याख्याता/प्रधानपाठक, पूर्व माध्यमिक शाला संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा भरे जायेंगे। किन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हों, तो पद, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
7	प्रधानपाठक, पूर्व माध्यमिक शाला	6202	–	100%	–	उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (स्नातक) जिन्होनें न्यूनतम 5 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो, को प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला पर पदोंन्नत किये जा सकेंगे। यदि समरूप संवर्ग में प्रधान पाठक उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे उच्च श्रेणी शिक्षक (स्नातक) के अभ्यर्थियों जिन्होने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर

						पदोन्नत किए जा सकेंगे। किन्तु इसके उपरांत भी पद रिक्त रहते हैं तो स्नातक सहायक शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रधान पाठक के पदों पर भरे जायेंगे। शिक्षक/सहायक शिक्षक के पदों को भरने के उपरांत, सभी शिक्षक पदोन्नत हो जायेंगे, तब रिक्त पदों की पूर्ति; शिक्षाकर्मी वर्ग–1 जो स्नातकोत्तर हों एवं बी.एड./बी.टी. सी. डिप्लोमा धारक हो तथा जिनकी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो तथा शिक्षाकर्मी वर्ग–2 जो स्नातक हों एवं बी.एड./डी.एड. में डिप्लोमा धारक हो तथा जिनकी 8 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिये)

छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित), सेवा राजपत्रित पदों के सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा, तथा अन्य अर्हताएं.

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्राचार्य/ उप प्राचार्य	35	45	शिक्षाकर्मी वर्ग–1 जो स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो एवं बी.एड./डी.एड./बी.टी.सी में डिप्लोमा धारक हो तथा समान पद में 10 वर्ष की सेवा दे चुके हो .	
2.	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला	35	45	शिक्षाकर्मी वर्ग–1 जो स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो एवं बी.एड./बी.टी.सी में डिप्लोमा धारक हो तथा समान पद में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा शिक्षाकर्मी वर्ग–2 जो स्नातक हो तथा बी.एड./डी.एड./बी.टी.सी में डिप्लोमा धारक हो तथा समान पद में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	

अनुसूची—चार

(नियम 14 देखिये)

छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित), सेवा

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राचार्य / उप प्राचार्य / विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	प्राचार्य, प्रथम श्रेणी	05 वर्ष	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव —सदस्य 3. आयुक्त / संचालक, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विकास—सदस्य सचिव
2.	अधीक्षक श्रेणी—ब	अधीक्षक श्रेणी—अ	10 वर्ष	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव —सदस्य 3. आयुक्त / संचालक जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विकास—सदस्य सचिव
3.	व्याख्याता / प्रधानपाठक, पूर्व माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर)	प्राचार्य / उप प्राचार्य	10 वर्ष	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव —सदस्य 3. आयुक्त / संचालक, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विकास —सदस्य सचिव
4.	अधीक्षक श्रेणी—स	अधीक्षक श्रेणी—ब	05 वर्ष	1. आयुक्त / संचालक—अध्यक्ष 2. अपर संचालक (प्रशासन)—सदस्य 3. उपायुक्त / सहायक आयुक्त (सामान्य स्थापना शाखा)—सदस्य 4. उपायुक्त / सहायक आयुक्त (छात्रावास / आश्रम)—सदस्य सचिव

5.	उच्च श्रेणी शिक्षक (स्नातकोत्तर)/ प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला (स्नातकोत्तर)	व्याख्याता	05 वर्ष	1. आयुक्त/संचालक–अध्यक्ष 2. अपर संचालक (प्रशासन)–सदस्य 3. उपायुक्त/सहायक आयुक्त (सामान्य स्थापना शाखा)–सदस्य 4. उपायुक्त/सहायक आयुक्त (शिक्षा स्थापना शाखा)–सदस्य सचिव
6.	उच्च श्रेणी शिक्षक /प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला, (स्नातक)	प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला	05 वर्ष	1. सहायक आयुक्त–अध्यक्ष 2. सहायक संचालक–सदस्य सचिव 3. सहायक आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी–सदस्य 4. सहायक आयुक्त द्वारा नामांकित दो प्राचार्य, उ. मा.वि./हाईस्कूल–सदस्य

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 11-2/2008/25/1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

Raipur, the 20th December 2011

NOTIFICATION

No. F 11-2/2008/25/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the Recruitment of Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department Educational Cadre (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department Educational Cadre (Gazetted), Service Recruitment Rules, 2011.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) **"Appointing Authority"** in respect of service means the Government of Chhattisgarh;
   (b) **"Commission"** means the Chhattisgarh Public Service Commission;
   (c) **"Committee"** means a selection committee meant for departmental promotion or selection as specified in Schedule-IV;
   (d) **"Departmental Examination"** means, examination conducted for the regular teachers/shikshakarmis, working in schools under the Chhattisgarh Schedule Tribe and Schedule Caste Development Department;
   (e) **"Examination"** means competitive examination held for recruitment conducted under rule 11 of these rules;
   (f) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;
   (g) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;
   (h) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification no. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time;
   (i) **"Schedule"** means schedule appended to these rules;
   (j) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (k) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(l) **"Service"** means Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department, Educational Cadre (Gazetted), Service;

(m) **"State"** means State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of service.

4. **Constitution of the Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the services in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.-** The classification of service, the number of posts included in the service, and the scale of pay attached thereto, shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.-** (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through selection by limited departmental examination;

(b) by promotion of member of the service;

(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after approval of the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of Government shall apply.

7. **Appointment in Service.**- All the appointments to the service after commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruits.**-In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age- (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable up to 10 (ten) years as per Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in the respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more that 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary

service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;
(ii)Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
    (a) Completion of short term engagement;
    (b) Fulfilling the conditions of enrolment.
(iii) Ex-servicemen (military and civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);
(iv) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
(v) Ex-servicemen invalidated out of service;
(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto two years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto five years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveer Chand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guard for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) The Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in sub-clause (d)(i) and (d)(ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They will, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.
(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above categories for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45years.

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(2) Educational Qualification and Experience- The candidate must possess the educational qualifications and experience prescribed for service as shown in Schedule-III.

(3) Fees- The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for selection.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidate shall be final.–** (i) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for Selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to be interview.

(ii) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/ appointment shall be terminated by the Commission.

11. **Direct Recruitment by Selection/Competitive Examination/Limited Departmental Examination.–** (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued under this rule by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(6) In addition to above, the post for handicapped/ex-serviceman shall be reserved in accordance with the Act/Rule/ Order/ Instruction issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relatives rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may woman/handicapped/ex-serviceman and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relatives rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes (Non-creamy layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the competent authority may relax the condition of experience to the candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. **List of Candidates Selected by the Commission.**- (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who though not qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women/physically handicapped/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2)List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.

(4). Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the names of candidates from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provision, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of waiting list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), will not be extended by the commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. **Probation.-** (1). Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years. If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of one year.

(2) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, under this sub-rule, for constitution of the committee, provisions of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instruction issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) **Certification by the Appointing Authority.-** Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of section 6 of the said Act.

15. **Conditions of eligibility for promotion.-** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on 1st Day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made, as specified in column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent there to by the Government, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).
Explanation- Method of computation for eligibility for Promotion: The calculation of the period of qualifying services on the Ist January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government servant has attained the pay scale of the respective feeder cadre/post of service/post, and not from the date he has attained the pay scale.

(2) (one) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of

public servants shall only be considered that are existing in each category and number of posts going to be vacated due to retirement during one year.

(two) In such cases where promotion is to be given on merit cum Seniority basis, the number of considerable application shall be two to four times more than the number of vacant post. If sufficient number of Public servants belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe are not available for promotion, than the considerable number of applications can be increased to seven times of the total vacant posts and thus the reserved posts can be filled from the considerable zone. The committee shall take into consideration all the existing vacant post and the post to be vacant during one year due to retirement in the consideration zone in each category.

(3) The name of public servants in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name up to 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant whichever is more, to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. **Preparation of list of suitable candidates.-** (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and are held by the Committee to be suitable for promotion in service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of one year from the date of preparation of the list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and maximum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The List of the suitable officers shall be prepared as per the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(3) The list so prepared shall be scrutinized and revised every year.

(4) If in the process of selection, reviews or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed super session.

17. **Consultation with the Commission.-** (1) List prepared by the Government under the provisions of rule 16 shall be sent to the Commission alongwith:-

(i) the record of all the persons included in the list .
(ii) the record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.
(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person falling in the service as mentioned in column (2) of Schedule -IV.
(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it will be deemed that the follow up of consultation with the Commission under sub-clause (c) of clause (3) of Section 320 of the Constitution, has been complied.

18. **Select list.-** (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it will approve the list.

(2) If the Commission feels that there is need of some changes in the list, then Commission will inform the government with its opinion if any, but once it is considered, the commission shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of civil services as mentioned in column (3) of Schedule IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) Generally the select list will prevail until it is scrutinized and revised as per sub-rule (3) of Rule 16, however the validity of the list will be for 18 months from the date on which the list is finalized, after which no further extension will be allowed:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

19. **Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre as per Rule 15(4) of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government in such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. **Probation.-** Every person promoted in the service shall be appointed on probation for a period of two years.

21. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that any such type of case shall not be dealt in any manner which is less favorable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and enforced immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes in accordance with the orders by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL CHOUDHARY, Deputy Secretary.

SCHEDULE –I

(See Rule - 5)

Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department Educational Cadre (Gazetted), Service

Sl. No	Name of Post included in the service	Number of Posts	Classification	Pay-Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Principal, Class-I	11	Gazetted Class-I	15600-39100 +GP 6600	Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
2	Block Development-Education Officer	85	Gazetted Class-II	15600-39100 +GP 5400	Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
3.	Principal/Vice-Principal	1037	Gazetted Class-II	15600-39100 +GP 5400	Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
4	Superintendent, Grade-A	01	Gazetted Class-II	15600-39100 +GP 5400	Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
5.	Lecturer	12726	Gazetted Class-II	9300-34800 +GP 4300	After delegation of powers to Commissioner /Director By the Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
6.	Superintendent, Grade-B	45	Gazetted Class-II	9300-34800 +GP 4300	After delegation of powers to Commissioner /Director By the Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
7.	Head Master Middle School	6202	Gazetted Class-II	9300-34800 +GP 4300	After delegation of powers to Commissioner /Director By the Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department

SCHEDULE –I

(See Rule - 5)

Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department Educational Cadre (Gazetted), Service

Sl. No	Name of Post included in the service	Number of Posts	Classification	Pay-Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Principal, Class-I	11	Gazetted Class-I	15600-39100 +GP 6600	Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
2	Block Development-Education Officer	85	Gazetted Class-II	15600-39100 +GP 5400	Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
3.	Principal/Vice-Principal	1037	Gazetted Class-II	15600-39100 +GP 5400	Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
4	Superintendent, Grade-A	01	Gazetted Class-II	15600-39100 +GP 5400	Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
5.	Lecturer	12726	Gazetted Class-II	9300-34800 +GP 4300	After delegation of powers to Commissioner /Director By the Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
6.	Superintendent, Grade-B	45	Gazetted Class-II	9300-34800 +GP 4300	After delegation of powers to Commissioner /Director By the Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department
7.	Head Master Middle School	6202	Gazetted Class-II	9300-34800 +GP 4300	After delegation of powers to Commissioner /Director By the Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department

Schedule – II
(See Rule 6)

Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department Educational Cadre (Gazetted), Service

Sl. No.	Name of Service	Total Number of duty Posts	Percentage of post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment vide rule-6 (1) (a)	By promotion vide rule 6(1)(b)	By transfer from other services vide rule 6(1)(c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Principal, Class-I	11	--	100%	--	shall be filled by promotion from Principal/Vice-Principal /Block Development Education Officer
2.	Block Development -Education Officer	85	--	---	100%	shall be filled by transfer from Principal, Pay scale-15600-39100+GP 5400, after 5 years of experience
3.	Principal/ Vice-Principal	1037	25%	75%	--	25% posts of Principal/Vice Principal shall be filled by Departmental examination from Shikshakarmi Grade-1 who have completed 10 years of service and 75% posts shall be filled from regular Lecturer/Head Masters (Post Graduate) by promotion. After completion of list of regular Lecturer/Head Master's (Post Graduate) then all the posts shall be filled from Shiksha karmi Grade-1 through limited departmental examination.
4.	Superintendent Grade-A	01	--	100%		If desired candidate (Superintendent Grade-B) are not available then the post shall be filled by transfer from principal cadre, but If desired candidates are available then the post shall be filled by regular promotion.
5.	Lecturer	12726	50% If desired teachers with relevant subject are not available then the posts shall be filled by such teachers who are postgraduate in relevant subject having 3 years of experience. 50% of the total vacant posts of Shikshakarmi Grade-1 shall be	50%	–	Posts of Lecturers shall be filled by promotion from Upper division teachers/ Head Masters (Primary School) who are post graduate and trained B.E.d./ D.Ed./ B.T.C.

			filled by direct recruitment by Panchayat and Rural Development Department			
6.	Superintendent Grade- B	45	--	100%	--	If desired candidate (Superintendent Grade-C) are not available then it shall be filled by Lecturer/Head Master, Middle School cadre by Transfer. But If desired candidate are available then the post shall be filled by promotion.
7.	Head Master, Middle School	6202	--	100%	--	Upper grade teacher/head master of primary school (graduate) who have completed 5 year of service may be promoted to Head Master of middle school. If Head Master of similar category is not available then such Upper Division Teacher (Graduate) candidates who have completed 3 year of service may be promoted on the post of Head Master of middle school. But if still posts lie vacant then the posts of Head Master shall be filled by the Graduate Assistant teachers who have completed minimum 12 years of service through departmental competitive examination. After filling the posts of teacher/ Assistant Teacher and all the teachers are being promoted then the vacant post will be filled through a departmental competitive examination from Shikshakarmi Grade-1 who have post-graduated and possess diploma in B.Ed/BTC and have completed 5 years of service and Shikshakarmi Grade-2 who have graduated and possess diploma in B.Ed/D.Ed and have completed 8 years of service,

Schedule – III

(See Rule 8)

Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department Educational Cadre (Gazetted), Service

Educational qualification, age limit and other qualifications for direct recruitment to the Gazetted posts.

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Principal/ Vice-Principal	35	45	Shikshakarmi Grade-1 who have passed post graduation and possess diploma in B.Ed/D.Ed./ B.T.C. and have rendered 10 years of service in the same post.	
2.	Head Master, Middle School	35	45	Shikshakarmi Grade-1 who have passed post graduation and possess diploma in B.Ed / BTC and have completed 05 years of service in the same post, and shikshakarmi Grade-2 who have graduated and possess diploma in B.Ed/D.Ed/ B.T.C. and have rendered 08 years of service in the same post.	

Schedule – IV
(See Rule 14)

Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department Educational Cadre (Gazetted), Service

S.No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of Service or Post on which promotion is to be made	Minimum period of service	Name of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal/ Vice-Principal/ Block Development Education Officer	Principal, Class-I	05 years	1. Chairman, Public Service Commission or any member nominated by the Commission 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary – Member 3. Commissioner/ Director, Tribal and Scheduled Caste Welfare Development–Member Secretary
2.	Superintendent Grade- B	Superintendent Grade- A	10 years	1. Chairman, Public Service Commission or any member nominated by the Commission 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary – Member 3. Commissioner/ Director, Tribal and Scheduled Caste Welfare Development –Member Secretary
3.	Lecturer/Head Master, Middle School (Post Graduate)	Principal/Vice Principal	10 years	1. Chairman, Public Service Commission or any member nominated by the Commission 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary – Member 3. Commissioner/ Director, Tribal and Scheduled Caste Welfare Development–Member Secretary
4.	Superintendent Grade- C	Superintendent Grade- B	05 years	1. Commissioner/ Director - Chairman 2. Add. Director (Administration)- Member 3. Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner (General Establishment section)-Member 4. Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner (Hostel/ Ashram)- Member Secretary
5.	Upper Grade Teacher (Postgraduate) / Head Master, Primary school (Postgraduate)	Lecturer	05 years	1. Commissioner/ Director - Chairman 2. Add. Director (Administration)- Member 3. Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner (General Establishment Section)-Member 4. Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner (Education Establishment Section)- Member Secretary
6.	Upper Grade Teacher/ Head Master, Primary School, (Graduate)	Head Master, Middle school	05 years	1. Assistant Commissioner – Chairman 2. Assistant Director – Member Secretary 3. A Block Education Officer nominated by the Assistant Commissioner – Member 4. Two Principals, HSS/ HS nominated by the Assistant Commissioner – Member.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.